न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालि कम्प उज्जैन म.प्र.

अपील प्रकरण क.

R-1247-I/2011

1— चन्दरसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत

2— गोरधनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत

3— फुलकुंवरबाई पिता भंवरसिंह राजपूत

सभी वयस्क ,सभी का धंधा काश्तकारी

निवासीगण कस्बा भोरासा तेह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र

—— अपीलार्थी / प्रतिप्रार्थीगण

विरूद्ध

अनारकली बाई पति बालम जाति कंजर,

उम्र वयस्क निवासी ग्राम सिखखेडी नाका

तेह.सोनकच्छ जिला देवास म.प्र. ——प्रत्यर्थी / प्रार्थी

~~अधीन~~ अधीन धारा ~~44~~ 50 (2) म.प्र.भू.राजस्व सहिता

विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय माननीय अपर उपायुक्त महोदय उज्जैन के

अपील प्रकरण कमांक 76 / 2008—09

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से सदर ~~अधीन~~ अधिनस्थ न्यायालय माननीय उपायुक्त महोदय उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 76 / अपील / 2008—09 आदेश दिनांक 29.06.2011 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर सादर प्रस्तुत है :—

1— यह कि अपील प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि रिस्पांडेन्ट अनारकली ने अपनी भूमि पर सिंचाई के लिये अपीलांट्स की भूमि से पाईप लाईन जमीन के अन्दर गाडने के लिये अनुमति हेतु जिलाधीश महोदय देवास (कलेक्टर देवास) को आवेदन दिया ,उक्त आवेदन कलेक्टर महोदय ने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1247–एक/2011 जिला देवास

चन्दरसिंह आदि विरूद्ध अनारकली बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–10–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 76/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में संलग्न अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा सिंचाई हेतु पाईपलाईन जमीन के अन्दर गाडने के लिए अनुमति हेतु कलेक्टर देवास को आवेदन दिया। उक्त आवेदन कलेक्टर ने नायब तहसीलदार टप्पा भौरासा को भेजा जिसपर नायब तहसीलदार ने आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया, जो तामील हुआ। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना है कि आवेदकगण को सूचना देने के उपरांत तहसीलदार ने आदेश पारित किया है। शासन निर्देश के अनुसार कृषकों को सिंचाई के लिए खेत में गहरी पाईपलाईन डालने की अनुमति दी जाने के निर्देश देने में अनिमितता नहीं की गई है। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टाय उचित प्रतीत प्रतीत होता है। अतः निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	